न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 21/2018/251–ए आरटीए

1. प्रहलाद पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरिपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. रामी देवी पत्नि चूनाराम जाति जाट निवासीनी हरिपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. जीवण राम }
2. मोहन राम } पुत्रगण दीपाराम।
3. कमला देवी पुत्री माधुराम।
4. भंवरी देवी पत्नि भगवानाराम।
5. मूली देवी पत्नि भगवानाराम।
   जाति जाट निवासीगण हरिपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक ।
7. पटवारी पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ।
8. नायब तहसीलदार लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री श्री कमल किशोर राड़ वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से तथा शेष अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

नि र्ण य दिनांक – 02.03.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 772 रकबा 0.01 है0, ख0न0 773 रकबा 4.19 है0, ख0न0 789 रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल भू0अ0नि0 लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 787 रकबा 0.0300 है0 ख0न0 788 रकबा 1.79 है0

Scanned with CamScanner

में से उत्तरी व पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 9 मीटर चौडा व 120 मीटर लम्बा रास्ता पूर्व–पश्चिम इस प्रकार कुल 1080 वर्गमीटर एवं इससे आगे पूर्व दिशा में गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 785 में मिलता हुआ चाहा गया है। प्रार्थीगण को अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 772, 773, 774, 789 वाके ग्राम हरपिुरा में आने–जाने के लिए प्रार्थीगण की उक्त भूमि उतरी–पश्चिमी कोने से शुरू होकर अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि ख0न0 787, 788 में से उतरी व पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 9 मीटर चौड़ा व 120 मीटर लम्वा रास्ता आगे पूर्वी दिशा में गैर मुमकीन रास्ता खं0न0 785 में मिलता हुआ रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त वर्णित कृषि भूमियां एक ही पटवार हल्का में है प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगें। प्रार्थीगण की भूमियोंमें आने जाने के हेतु कोई स्थायी या कटानशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण पहले मुख्य कटानशुदा रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमियों खं0न0 787 व 788 के उतर दिशा व पूर्वी दिशा के सहारे–सहारे होकर अपनी भूमि खं0 न0 789 में प्रवेश करते रहे है लेकिन उक्त रास्ता कटान का नहीं होने से प्रार्थीगण को समस्या रहती है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग एवं उपभोग हेतु रास्ते हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की ओर से वकील श्री कमल किशोर राड़ हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपतहसीलदार लोसल सें रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मय डीएलसी दर संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। वकील अप्रार्थी ने आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब पेश किया। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया तथा जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 772, 773, 774, 789 का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त खातेदारी भूमि में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः आवेदन स्वीकार कर आवेदित रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि आपसी सहमति अनुसार भूमि ख0न0 785 के पश्चिमी दिशा से होते हुये भूमि ख0न0 788 के पश्चिमी दिशा के सहारे सहारे व आगे भूमि ख0न0 788 के ही दक्षिणी सीमा के सहारे होते हुये प्रार्थीगण की भूमि खं0 न0 789 तक 20 फुट चौड़ा रास्ता देने का निश्चय किया है तथा उक्त रास्ते में लगने वाली भूमि के बराबर भूमि ख0न0 789 प्रार्थीगण अपनी भूमि ख0नं0 789 में से पश्चिमी दिशा की सीमा के पास 20 फुट रास्ते की भूमि दक्षिण दिशा में होते हुये हम अप्रार्थीगण को देगा। उपतहसीलदार लोसल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम हरिपुरा के खं0न0 788 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे दक्षिणी की ओर चलकर दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूर्व की आरे अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 789 में जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ते के खं0न0 788 की 6 X 280 यानी 1680 वर्गमीटर भूमि बनती है जिसके बदले खं0न0 789 की भूमि में सें 88 X 19.09 यानी 1680 वर्गमीटर भूमि दिया जाना अप्रार्थीगण ने प्रस्तावित किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमती के अनुसार खं0 न0 788 में से रास्ता देकर उसके बदले खं0न0 789 में से रास्ते के बराबर भूमि अप्रार्थीगण को दिया जाना है। उपतहसीलदार लोसल की रिपोर्ट सें स्पष्ट है कि प्रार्थीगण

Scanned with CamScanner

की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु रास्ते का अभाव है अतः प्रार्थीगण को वांछित रास्ता दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अंतर्गत न्यायोचित है। चूंकि आरटीए की धारा 251–ए की मंशा वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी को निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर में आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु खं0न0 खं0 न0 788 में से रास्ता देकर उसके बदले खं0न0 789 में से रास्ते के बराबर भूमि अप्रार्थीगण को रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश इस प्रकार दिये जाते है कि खसरा नम्बर 788 में सें पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर खसरा नम्बर 788/1 तथा शेष रकबा खसरा नम्बर 788/2 की खातेदारी पूर्वानुसार रहे तथा उक्त रास्ते के बदले में खसरा नम्बर 789 में सें रास्ते के बराबर भूमि रकबा 1680 वर्गमीटर के खसरा नम्बर 789/1 दर्ज कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में तथा शेष भूमि को खसरा नम्बर 789/2 अंकित कर प्रार्थीगण की खातेदारी में यथावत रखा जावे तथा मौके पर नपती की जाकर उक्त रास्ते को सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामढ

Scanned with CamScanner